

## भारतीय बीमा विनयामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणनफर्मकार जिस्ट्रीकरण) विनयम, 2015 फार्म बी [विनयम 10 देखे] रजिस्टीकरण

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015 FORM B [See regulations 10]

## REGISTRATION

समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अिधनयम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42 डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वरा "अल्गेटस कंसल्टिंग आई एम एफ प्राईवेट लिमिटेड." को उपयुक्त अधिनयम के अधीन बीमा विपणन फर्म (आई एम एफ) के रूप मे कार्य करने केलिए पंजीकरण प्रादान करताहै। उक्त बीमा विपणनफर्म केलिए रजिस्टीकरणकृट "आई एम एफ 187250600920210470" है।

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 42D Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amended from time to time, the Authority hereby grants a registration to

"Algates Consulting IMF Pvt. Ltd."

to act as Insurance Marketing Firm (IMF) under that Act. Registration Code for the Insurance Marketing Firm is "IMF187250600920210470"

- 1. उक्त बीमा विपण नफर्म (आई एम एफ) को कर्नाटक राज्य के <u>बैंगलोर</u> जिला में परिचालन करने की अनुमित दी जाएगी। The IMF shall be allowed to operate in Bangalore district of Karnataka State.
- 2. कार्यकलापों का विस्तार:

Scope of Activities:

ocope of Activities.	
बीमाउत्पादों की अपेक्षा करनाअथवाउन्हे प्राप्त करना	
Soliciting or Procuring Insurance Products	L.
बीमा संबंधी सेवा कार्य	
Insurance Service Activities	
क) बीमाकर्ताओं के बैक ऑफिस कार्य करना	
a) Undertaking back office activities of insurers	<b>✓</b>
ख) बीमा रिपोजिटरियों (आईआर) का अनुमोदित व्यक्ति बनना	
b) Become approved person of IRs	X

3. यह रजिस्ट्री करण <u>21 - 09 - 2021</u> से <u>20 - 09 - 2024</u> तक वैधहोगा। This Registration shall be valid from 21 - 09 - 2021 to 20 - 09 - 2024.

4. यह रजिस्ट्रीकरण समय-समय पर यथासंशोधित अिधिनियम, बीमा विनयामक और विकास प्राधिकरण अिधिनियम, 1999 (1999 का 41) एवं भारतीय बीमा विनयामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनयम, 2015 के अधीनहै तथा इसकेसंबंध मे यहनहीं समझाजाएगा कि यह किसी अन्य अधिनयम, नियमों अथवा विनयमों के अनुपालन मे अथवाउन के अनुरूप है।

This Registration is subject to the Act, as amended from time to time, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

स्थान : हैदराबाद Place: Hyderabad

दिनांक/Date: 21 - 09 - 2021

आदेशानुसार By Order

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिएऔर उनकी ओर से। For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority of India

सर्वे नं. 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032, भारत | Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032, Ind 🕥 : +91-40-2020 4000 वेबसाइट : www.irdai.gov.in

(5): +91-40-2020 4000 Website: www.irdai.gov.in